क्रमांक : 07/33/05/07003/07 भारत को भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त बनाने व जन जागृति का संकल्प लें

प्रखर एज्युकेशनल एण्ड सोश्यल वेलफेयर सोसायटी

म. नं. 426, महिदपुर रोड़ नाके के पास, नागदा जं. तह. नागदा जिला – उज्जैन (म.प्र.)

ब्रांच ऑफिस

कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में

संस्था के उद्देश्य

1. शिक्षा का प्रचार प्रसार करना , जिस हेतु विद्यालय / महाविद्यालय की स्थापना करना व उसका प्रबंध संचालन करना ।
2. महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदीकला, पाककला, सौंदर्यकला, हस्तशिल्प, बुटिक, संगीतकला, नृत्यकला, ब्युटीपार्लर का शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना तथा आंगनवाड़ी, झुलाघर, बालवाड़ी, प्रौढ़शिक्षा की स्थापना करना व उसका प्रबंध संचालन करना एवं पोषण आहार के कार्यक्रम आयोजित करना ।
3. तकनीकी शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कृषि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना व शिक्षण प्रशिक्षण देना ।
4. बाल श्रमिक के सामाजिक कल्याण के सम्प्रवर्तन हेतु कार्य करना व शासन द्वारा चलाई जा रही बाल श्रमिक शिक्षण प्रशिक्षण योजना में शासन का सहयोग करना एवं बाल श्रम के विरुद्ध जनजागृति लाना ।
5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास, श्रम मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार व क्रियान्वयन करना ।
6. पंजीयन उपरांत नियमानुसार भू–अर्जित कर छात्रावास, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम, महिला आश्रम, पुस्ताकालय, वाचनालय, व्यायामशाला आदि की स्थापना करना व उसका प्रबंध संचालन करना ।
7. परित्यक्ता विधवा बेसहारा महिलाओं के सामाजिक कल्याण के सम्प्रवर्तन हेतु कार्य करना ।
8. महिलाओं के कल्याण तथा विकास से संबंधित विविध गतिविधियों का संचालन एवं व्यवस्था एवं कामकाजी महिलाओं हेतु होस्टल बोर्डिंग वुमेन होस्टल की स्थापना करना ।
9. एड्स के विरुद्ध जनजागृति व परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार एवं निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधित शिविर आयोजित करना ।
10. ग्रामिण एवं शहरी क्षेत्रों में स्व–सहायता समूह की स्थापना कर महिलाओं को उसका लाभ पहुँचाना ।
11. वायु प्रदुषण, जल प्रदुषण एवं ध्वनि प्रदुषण के निवारण हेतु कार्य करना, एवं जल संरक्षण व संवर्धन हेतु जनजागृति करना । वृक्षारोपण हेतु सुझाव व कार्य करना ।
12. सूचना के अधिकार के प्रति लोगों को जागरुक एवं प्रशिक्षित करना ।
13. सम्पूर्ण समाज के आर्थिक विकास हेतु रोजगारोन्मुखि कार्यक्रमों, योजनाओं आदि के संचालन के लिए प्रेरक / सहयोगी के रुप में कार्य करना ।
14. समग्र ग्राम विकास हेतु विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण, शोध अनुसंधान, एवं कार्यशालाऐं संचालित करना ।

15. सभी धर्मों के आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के युवक युवतियों को निःशुल्क विवाह हेतु परिचय सम्मेलन आयोजित करना व समय समय पर उनके सामूहिक विवाह सम्पन्न कराना।

16. केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना व उसका प्रबंध संचालन करना।

17. जन सामान्य उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिनियम से अवगत कराना सशुल्क विधिक सलाह देना।

18. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग एवं गरीब वर्ग के लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना एवं उन्हे रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण देना व केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का लाभ दिलवानें में सहयोग करना।

19. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कील डेवलपमेंट (कौशल विकास) योजना का प्रचार प्रसार करना व उसका शिक्षण प्रशिक्षण देना।

20. महिला एवं बाल विकास विभाग के समाज कल्याण हेतु संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहभागिता करना।

21. आदिवासियों के सामाजिक, शैक्षणिक विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रमों का संचालन एवं व्यवस्था करना।

22. सौर उर्जा, पवन उर्जा एवं प्राकृतिक उर्जा का समाज में प्रचार प्रसार करना तथा शिक्षण प्रशिक्षण देना।

23. स्वच्छता विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत सामूहिक सुलभ शौचालयों, मुत्रालयों व जिन क्षेत्रों में स्वच्छता की व्यवस्था नही है वहां व्यवस्था संचालन में सहयोग देना।

24. कृषि, पशुपालन, जल संवर्धन संरक्षण तथा विकास से संबंधित शिक्षा देना एवं विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का संचालन एवं गौशाला की स्थापना करना।

25. सामान्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित योजनाओं का प्रचार प्रसार, शिविर तथा चेरीटेबल स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करना।

26. स्थानिय, राष्ट्रिय, अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं / दानदात्री संस्थाओं से अनुदान प्राप्त कर कल्याणकारी विकासशील एवं प्रबंधकीय परियोजना के लिए सुव्यवस्थित संचालन करना एवं प्रशिक्षण देना।

27. कृषि उद्यानिकी एवं वानिकी, जैविक खेती, औषधियों, पौधो की खेती, लाख निर्माण, रेशम कीट पालन आदि योजनाओं का संचालन व प्रशिक्षण देना।

28. जैविक खाद, गोबर गैस, वाटर शेड, तालाब गहरीकरण आदि के प्रति कार्य करना एवं लोगों को शासन के साथ जुड़कर उसके प्रति प्रोत्साहिन करना।

29. समाज के अल्प आयवर्गीय, भूमिहीन, पिछड़ेवर्ग, दलित, आदिवासी, गरीब, अनुसूचित जाति, खेतिहर व मजदूर वर्ग के प्रयास हेतु विभिन्न रचानात्मक कार्यक्रमों व गतिविधियों को संचालित करना।

30. शासन एवं भारत सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/अर्द्धशासकीय/अशासकीय/विदेशी सहायता द्वारा जनहित में संचालित सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार / संचालन एवं भागीदारी करना।

31. केंसर, कुष्ठ रोग, एड्स, टी.बी., कुपोषण, नशाखोरी के विरुद्ध जनजागृति व परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार एवं निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधी शिविर आयोजित करना।